


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
रामलाल बनाम नायब तहसीलदार अजीतगढ  
मु0नं0 18/2020



नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

14.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतः अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

  
(बाबूलाल गोयल)  
अति. संभागीय आयुक्त,  
जयपुर

18  
2020



19/18

2020/00224

सदर मल धायल  
15 दशा पेश  
मई  
19/8/18

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, सीकर

रामलाल पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी मानगढ तहसील श्रीमाधोपुर  
जिला सीकर राज 0 प. 9694 2048 63.

अपीलांत

ब नाम

नायब तहसीलदार महोदय अजीतगढ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट


रीडर  
रिपादकर

RDB  
31.8.18

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 31.07.2018  
न्यायालय अपर जिला कलेक्टर महोदय सीकर  
प्रकरण अनुवानी अर्जुन बनाम नायब  
तहसीलदार मु.नं. /2017 व आज्ञा दिनांक  
06.12.2017 न्यायालय नायब तहसीलदार  
अजीतगढ प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम  
रामलाल मु.नं. 131/2017 अं0 धारा 91  
राजस्थान ले.रे.एक्ट  
अपील अं0 धारा 76 राज.ले.रे.एक्ट

मान्यवर,

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का  
सुरजपुरा ने स्थानीय पार्टीबाजी के आधार पर अपीलांत के विरुद्ध इस  
आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलांत भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा  
0.48 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर भूमि पर नाजायज रूप से डोल लगाकर  
अतिक्रमण कर लिया उक्त रिपोर्ट रेस्पोंडेन्ट के यहां प्रस्तुत होने पर  
प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांत को जरिए नोटिस तलब किया, जिस  
पर अपीलांत योग्य अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया व अपना  
जबाब नोटिस इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि अपीलांत व



L. नं. रामलाल

*(Handwritten signature)*